"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 426 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 सितम्बर 2017 — आश्विन 4, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 सितंबर 2017

### अधिसूचना
सं. 24 /2017- राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10- 74 /2017/वाक/पांच(126). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) , एवं धारा 16 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 11/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच/(79), तारीख 28 जून, 2017, जो छत्तीगसढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्न संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

| 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|
| "(vi) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, स्थानीय निकाय अथवा एक सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के माध्यम से प्रदान की गई हो,-<br>(क) एक सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य जिसका मुख्यतया उपयोग वाणिज्य, उद्योग या अन्य व्यापार व व्यवसाय से भिन्न हो;<br>(ख) एक संरचना जिसका मुख्यतया उपयोग (i) शैक्षिक (ii) रोग-नैदानिक अथवा (iii) कला अथवा सांस्कृतिक स्थापना के लिए हो; अथवा<br>(ग) एक आवासीय परिसर जिसका उपयोग स्वयं के प्रयोजन से हो या उनके कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो या अन्य व्यक्तियों के प्रयोगार्थ हो जो केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की तीसरी अनुसूची के पैरा 3 में वर्णित किए गए हैं। | 6 | - |
| (vii) उपर्युक्त (i),(ii),(iii),(iv),(v) एवं (vi) से भिन्न विनिर्माण सेवाएं | 9 | -" |

2. यह अधिसूचना दिनांक 21-09-2017 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी**, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 सितंबर 2017

क्रमांक एफ-10-74/2017/वाक/पांच(126). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-74/2017/वाक/पांच(126), दिनांक 23-09-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 23rd September 2017

NOTIFICATION
No. 24 /2017- State Tax (Rate)

No. F-10- 74/2017/CT/V (126). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 11/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (79), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table, against serial number 3, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely :-

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(vi) Services provided to the Central Government, State Government, Union Territory, a local authority or a governmental authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of –<br>(a) a civil structure or any other original works meant predominantly for use other than for commerce, industry, or any other business or profession;<br>(b) a structure meant predominantly for use as (i) an educational, (ii) a clinical, or(iii) an art or cultural establishment; or<br>(c) a residential complex predominantly meant for self-use or the use of their employees or other persons specified in paragraph 3 of the Schedule III of the Central Goods and Services Tax Act, 2017. | 6 | - |
| (vii) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above. | 9 | -". |

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 21-09-2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 23 सितंबर 2017

अधिसूचना
सं. 25 /2017- राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10- 74 /2017/वाक/पांच(127) . — छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017(क्रमांक 7 सन 2017) की धारा 11 की उपधारा )1यों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार शक्तिके तहत प्रदत्त (, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं .12/2017 (दर) राज्य कर - क्रमांक एफ-10-43-2017)/पांच/वाक/80(, तारीख ,जून 282017, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र 29 तारीख 252 क्रमांक ,में (असाधारण) ,जून2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा : -

उक्त अधिसूचना में,तालिका में, क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों 81 के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा,यथा -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "82 | अध्याय 9996 | फीफा अंडर -17 विश्व कप के तहत आयोजित होने 2017 वाले आयोजनों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं | कुछ नहीं | कुछ नहीं". |

2. यह अधिसूचना दिनांक 21-09- से 2017प्रभावशील मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. **त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 सितंबर 2017

क्रमांक एफ-10-74/2017/वाक/पांच(127). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-74/2017/वाक/पांच(127), दिनांक 23-09-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. **त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 23rd September 2017

NOTIFICATION
No. 25 /2017- State Tax (Rate)

No. F-10-74 /2017/CT/V (127) . – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 12/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (80), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table, after serial number 81 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "82 | Chapter 9996 | Services by way of right to admission to the events organised under FIFA U-17 World Cup 2017. | Nil | Nil". |

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from21-09-2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 23 सितंबर 2017

अधिसूचना

सं. 26/2017- राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-74/2017/वाक/पांच(128). – छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (7 का 2017) की धारा की 11 ) उपधारा1यों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार शक्तिके तहत प्रदत्त (, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतदद्वारा छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(7 का 2017) की धारा के तहत परमाणु 9 ऊर्जा विभाग द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975(51 का 1975) की प्रथम अनुसूची के अध्याय के तहत आने वाली हैवी वॉटर 28 राज्यीय आपूर्ति पर लगने वाले संपूर्ण राज्य कर में -क्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अंतर की न्यूक्लियर फ्यूल्सएंड न्यू छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 21-09-से प्रभावशील मानी जाएगी । 2017

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 सितंबर 2017

क्रमांक एफ-10-74/2017/वाक/पांच(128). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-74 /2017/वाक/पांच(128), दिनांक 23-09-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 23rd September, 2017

NOTIFICATION

No. 26 /2017- State Tax (Rate)

No. F-10- 74/2017/CT/V (128). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra state supply of heavy water and nuclear fuels falling in Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) by the Department of Atomic Energy to the Nuclear Power Corporation of India Ltd from the whole of the State tax leviable thereon under section 9 of the Chhattisgarh Good and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017).

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from21-09-2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.